न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 166/2020

1. सुभाषचंद्र पुत्र गुगन उर्फ गुगनराम जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. गुगन पुत्र केशू जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा।
2. बोहितराम पुत्र गुगन जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा।
3. गोविन्दराम पुत्र गुगन जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा।
4. मदनलाल पुत्र गुगन जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा।
5. बनवारीलाल पुत्र गुगन जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा।
6. परमेश्वरी पुत्री गुगन पत्नि प्रतापसिंह जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा हाल मोठसरा त0 भादरा।
7. इन्द्रावती पुत्री गुगन पत्नि विजयसिंह जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा हाल मोठसरा त0 भादरा।
8. बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री अमित देहडू : **वादी**
वकील श्री रामस्वरूप देहडू : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक : 10/02/2021**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा घेऊ के खाता सं0 256/205 के खसरा सं0 4 की 5.476है0, खसरा सं0 40 की 0.632है0, खसरा सं0 156 की 1.588है0, खसरा सं0 382 की 4.331है0, खसरा सं0 752 की 1.549है0 कुल 13.576है0बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 गुगन के नाम से खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता केशू की खातेदारी हुआ करती थी। केशू से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 गुगन ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती हैं इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने पर उपस्थित वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 7 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं 8 व 9 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने से उनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:28:14 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु सुभाषचंद्र पुत्र गुगन उर्फ गुगनराम जाति जाट निवासी घेऊ के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

घेऊ संवत 2071–74 खाता सं0 256/205 प्रदर्श 1, खतौनी जमाबंदी रोही घेऊ खाता सं0 256/205 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत घेऊ 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने घेऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में वारिसप्रमाण पत्र में गुगन के पांच पुत्र सुभाषचंद्र, बोहितराम, गोविन्दराम, मदनलाल व बनवारीलाल व दो पुत्री परमेश्वरी व इन्द्रावती के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मोजा घेऊ के खाता सं0 256/205 के खसरा सं0 4 की 5.476है0, खसरा सं0 40 की 0.632है0, खसरा सं0 156 की 1.588है0, खसरा सं0 382 की 4.331है0, खसरा सं0 752 की 1.549है0 कुल 13.576है0बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 गुगन के नाम से खातेदारी दर्ज है। में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 6 व 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा घेऊ के खाता सं0 256/205 के खसरा सं0 4 की 5.476है0, खसरा सं0 40 की 0.632है0, खसरा सं0 156 की 1.588है0, खसरा सं0 382 की 4.331है0, खसरा सं0 752 की 1.549है0 कुल 13.576है0बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 गुगन के नाम से खातेदारी दर्ज है। में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 6 व 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सुभाषचंद्र व प्रतिवादी सं0 1 गुगन, प्रतिवादी सं0 2 बोहितराम, प्रतिवादी सं0 3 गोविन्दराम, प्रतिवादी सं0 4 मदनलाल व प्रतिवादी सं0 5 बनवारीलाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:28:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 166/2020

1. सुभाषचंद्र पुत्र गुगन उर्फ गुगनराम जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. गुगन पुत्र केशू जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा।
2. बोहितराम पुत्र गुगन जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा।
3. गोविन्दराम पुत्र गुगन जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा।
4. मदनलाल पुत्र गुगन जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा।
5. बनवारीलाल पुत्र गुगन जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा।
6. परमेश्वरी पुत्री गुगन पत्नि प्रतापसिंह जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा हाल मोठसरा त0 भादरा।
7. इन्द्रावती पुत्री गुगन पत्नि विजयसिंह जाति जाट निवासी घेऊ त0 भादरा हाल मोठसरा त0 भादरा।
8. बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री अमित देहडू एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रामस्वरूप देहडू की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा घेऊ के खाता सं0 256/205 के खसरा सं0 4 की 5.476है0, खसरा सं0 40 की 0.632है0, खसरा सं0 156 की 1.588है0, खसरा सं0 382 की 4.331है0, खसरा सं0 752 की 1.549है0 कुल 13.576है0बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 गुगन के नाम से खातेदारी दर्ज है। में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 6 व 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सुभाषचंद्र व प्रतिवादी सं0 1 गुगन, प्रतिवादी सं0 2 बोहितराम, प्रतिवादी सं0 3 गोविन्दराम, प्रतिवादी सं0 4 मदनलाल व प्रतिवादी सं0 5 बनवारीलाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/02/2021 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:38:14 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner